न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : डॉ0 मधु खरे
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 3095–तीन/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 03–7–2015 पारित द्वारा तहसीलदार नरवर जिला शिवपुरी के प्रकरण कमांक 75/2014–15/अ–12.

1. प्रकाश सिंह पुत्र हरनामसिंह गुर्जर
2. धर्मेन्द्र सिंह पुत्र हरनामसिंह गुर्जर
3. रवेन्द्र सिंह पुत्र हरनामसिंह गुर्जर
निवासीगण ग्राम गागोनी तहसील नरवर
जिला शिवपुरी म0प्र0

——— आवेदकगण

विरूद्ध

1. म0प्र0 शासन
2. पंछी पुत्र गजाधर कुशवाह
निवासी ग्राम गागोनी तहसील नरवर
जिला शिवपुरी म0प्र0

——— अनावेदकगण

.....

श्री एस0के0 अवस्थी, अभिभाषक आवेदक
श्री एस0के0 अग्रवाल, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 1
श्री कुंवरसिंह कुशवाह, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 2

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 26 मार्च 2016 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार नरवर जिला शिवपुरी द्वारा पारित आदेश दिनांक 03–7–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि अनावेदक कमांक 2 पंछी ने ग्राम गगोनी के सर्वे कमांक 737/4, 759/4, 760/4,

761/1/4, 762/1, 763/4, 737/7 के सीमांकन हेतु आवेदन तहसील न्यायालय में प्रस्तुत सकिया। तहसील न्यायालय ने आदेश दिनांक 3–7–15 के द्वारा सीमांकन की पुष्टि की। तहसीलदार के उक्त सीमांकन आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3/ आवेदक अभिभाषक द्वारा तर्क में कहा कि वादोक्त भूमि से लगी हुई आवेदक के भूमिस्वामित्व की भूमि सर्वे कमांक 737/5, 756/5, 762/5 एवं 763/5 स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना आवेदकगण को सूचना दिये आवेदकों की अनुपस्थिति में सीमांकन आदेश देने में त्रुटि की है। यह भी तर्क दिया कि विवादित भूमि का सीमांकन के सम्बन्ध में दिनांक 20–8–09 एवं 10–7–10 को राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रकरण कमांक 308/08–09 एवं 253/09–10/अ–12 तथा 03/11–12/अ–12 में दिनांक 1–10–11 को अधीक्षक भू–अभिलेख द्वारा गठित टीम द्वारा किया गया है। इन सीमांकन प्रतिवेदनों पर पारित सीमांकन के विपरीत वर्तमान सीमांकन की कार्यवाही आवेदकगण की अनुपस्थिति में की गई है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किये जाने का अनुरोध किया।

4/ अनावेदक कमांक 1 शासकीय पैनल अभिभाषक ने तर्क दिया कि तहसीलदार के आदेश के पालन में राजस्व निरीक्षक ने सीमांकन किया है जिसकी पुष्टि तहसीलदार द्वारा की गई है। अतः निगरानी निरस्त की जाये।

5/ अनावेदक कमांक 2 के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्क में कहा कि अनावेदक ने अपनी भूमि के सीमांकन हेतु विधिवत आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिसपर अनावेदक एवं अन्य कृषकों की उपस्थिति में सीमांकन किया गया तथा पंचनामा बनाया गया। यह भी तर्क दिया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा किये गये सीमांकन पर किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त न

होने से तहसीलदार ने सीमांकन की पुष्टि की। अतः निगरानी का कोई आधार न होने से निरस्त की जाये।

6/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया। तहसील न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदक द्वारा स्वयं के भूमिवामी स्वत्व की भूमि के सीमांकन बावत आवेदन प्रस्तुत किया जिसपर तहसीलदार ने राजस्व निरीक्षक को सीमांकन करने हेतु आदेशित किया। राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमावर्ती किसानों को सूचना देने एवं गवाहों के समक्ष विधिवत सीमांकन कार्यवाही संपादित कर सीमांकन प्रतिवेदन तहसीलदार को प्रेषित किया। तहसीलदार द्वारा किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त न होने से आदेश दिनांक 3–7–15 को सीमांकन की पुष्टि की है। आवेदक ने राजस्व निरीक्षक द्वारा किये जा रहे सीमांकन के समय और न ही तहसीलदार के समक्ष सीमांकन पर आपत्ति प्रस्तुत की गई। आवेदक विचाराधीन सीमांकन आदेश से किस प्रकार व्यथित है यह भी दर्शाने में असमर्थ रहा है क्योंकि सीमांकन प्रतिवेदन में अनावेदक को उसकी सीमाओं का ज्ञान कराने का उल्लेख है। उसमें आवेदक का अनावेदक की भूमि पर किसी प्रकार अवैध कब्जा नहीं दर्शाया है। उक्त स्थिति में आवेदक अपने भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि का सीमांकन कराने के लिए स्वतंत्र है।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है। तहसीलदार नरवर जिला शिवपुरी का आदेश दिनांक 03–7–15 यथावत रखा जाता है।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर